कार्यालय परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना तोकापाल,जिला बस्तर(छ0ग0)

Mail – powcdtokapaal@gmail.com

//विज्ञापन//

क्रमांक/389/बा.वि.परि./स्था./नियुक्ति/2026–2027 तोकापाल, दिनांक 29/10/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पद रिक्त होने के कारण पद पूर्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 02/11/2026 से 16/11/2026तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना तोकापाल जिला–बस्तर(छ0ग0) के ई–भर्ती ऑनलाईन लिंक (https://aww.e-bharti.in/) में जाकर अनिवार्य दस्तावेजों की फाईल अपलोड करते हुए आवेदन कर सकते हैं। नियत समय के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।

रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	केन्द्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	तुमपानी	सालेपाल	आं.बा.कार्यकर्ता	1
2	टाहकापाल कोटवारपारा	टाहकापाल	आं.बा.सहायिका	1
3	गुर्राम	बुरूगपाल	आं.बा.सहायिका	1

1. **आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के लिये आवश्यक आर्हताएं हैः–**
 - 1.1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को शासन द्वारा निर्धारित मानेदय प्रतिमाह दिया जावेगा।
 - 1.2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिये हीं होंगे।
 - 1.3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद के लिये आयु सीमा 18 से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना आवेदन आंमत्रित सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
 - 1.4 एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका/संगठिका को नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छुट दी जावेगी। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हें दोबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
2. आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा।

 निवासी होने के प्रमाण में (1) संबंधित ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे।

 अथवा

 संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो मान्य किया जावेगा।
3. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्ननुसार होनी चाहिए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	**12 वीं बोर्ड**
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	**8 वीं बोर्ड**

टीपः– क. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं अथवा 11 वीं बोर्ड (पूर्ववर्ती) होगी।

ख. यदि शहरी /ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में बारहवीं/ग्यारहवीं बोर्ड उत्तीर्ण आवेदिका का एक भी आवेदन नहीं आता है तो उस केन्द्र हेतु शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मानकर उस केन्द्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं (बोर्ड) उत्तीर्ण रखी जावेगी।

ग. इसके बाद भी किसी केन्द्र में दसवीं उत्तीर्ण एक भी आवेदिका नहीं मिलती है तो शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मानकर उस केन्द्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण रखी जावेगी।

घ. यदि आठवीं उत्तीर्ण आवेदिका भी नहीं मिलती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मानकर पॉचवीं उत्तीर्ण रखी जावेगी। यदि किसी केन्द्र हेतु पॉचवीं उत्तीर्ण आवेदिका भी नहीं मिलती है। तो जिला कलेक्टर की स्वीकृति लेकर साक्षर महिला की भी नियुक्ति की जा सकती है।

ड. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल किये जाने पर मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन प्रपत्र में बारहवीं/ग्यारहवीं बोर्ड के लिए निर्धारित अंकों के स्थान पर **आवेदिका के लिए उपरोक्तानुसार लागू होने वाली शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक** के आधार पर अंक दिये जावेंगे। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिए अंकसूची की स्व प्रमाणित छायाप्रति लगाया जाना अनिवार्य होगा।

1.1. **आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होगी।** शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजनाओं में यदि सहायिका पद हेतु उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता के कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो नियुक्ति निर्देश की कंडिका 1.6 के समान ही शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उससे कम शैक्षणिक योग्यता पर भी विचार किया जावेगा। शहरी /ग्रामीण/आदिवासी परियोजनाओं में कोई शिक्षित आवेदिका न मिलने पर साक्षर महिला की भी नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी की अनुमति से की जा सकती है। सहायिकाओं के चयन हेतु मूल्यांकन करने समय मूल्यांकन प्रपत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर अंक दिये जावेंगें।

4. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका होने पर गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की महिला होने, अनुसुचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8 वीं तक अध्ययन करने पर तथा विधवा, परित्यकता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिया जावेगा।
 1. आवेदिका विधवा महिला होने की स्थिति में विधवा संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 2. परित्यकता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा। आवेदिका परित्यकता होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित जारी प्रमाण पत्र अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश संलग्न करना होगा।
 3. तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 4. यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
5. सहायिका पद हेतु आवेदिका यदि 8 वीं कक्षा ग्रेड पद्धति से उत्तीर्ण है तो उसे आवेदन पत्र के साथ प्रधान पाठक द्वारा जारी अंक विवरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेगे। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त न हुई हो।

7. यदि आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सदस्य हो तो (प्रभावशील गरीबी रेखा सूची में) उसे सक्षम अधिकारी द्वारा (ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं नगरीय क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र) जिसमें गरीबी रेखा क्रमांक एवं वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करना होगा।
8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज अभिप्रमाणित होना चाहिये।
9. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 8 वीं एवं 10 वीं की अंक सूची संलग्न करें।
10. यदि किसी आवेदन के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
11. चयन के किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र/दस्तावेज/अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदिका की होगी।
12. निर्धारित अंतिम तिथि 16/11/2026....के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार आर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/390/बा.वि.परि./स्था./नियुक्त/2026–2027 तोकापाल,दिनांक 29/10/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जगदलपुर जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तोकापाल को सादर सूचनार्थ, कृपया विज्ञापन की एक प्रति सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
4. उप संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ। कृपया स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करवाने का कष्ट करें।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा) तोकापाल जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पर्यवेक्षकको सूचनार्थ। कृपया आप अपने क्षेत्रातर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद के लिए मुनादी कराकर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
7. सरपंच ग्राम पंचायत.....विकासखण्ड तोकापाल जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ। कृपया ऑनलाईन आवेदन भरे जाने हेतु कोटवार के माध्यम से मुनादी कराने का कष्ट करें।
8. नियुक्ति शाखा प्रभारी/लिपिक सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के मुनादी प्रमाण पत्र एवं पावतीयां संकलित करे तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करने पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित आं0बा0 कार्यकर्ता/सहायिका आं.बा.केन्द्र में विज्ञापन चस्पा करावें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
तोकापाल जिला बस्तर (छ.ग.)